

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील
चंदेरी चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.-123/17

संस्थित दिनांक- 21.04.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

राकेश कोली पुत्र तुलसीराम कोली उम्र 40 साल
निवासी ग्राम प्राणपुर जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 10.07.2017 को घोषित)

- 01— अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा-504, 323, 324 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक-03.03.2017 को रात 00:30 बजे से 00:40 बजे फरियादी बंसती बाई के घर में फरियादी बंसती बाई व पुष्पेंद्र को इस आशय से अपमानित किया कि वह प्रकोपित होकर लोकशान्ति भंग करे अथवा फरियादी बंसती बाई के साथ लाठी से मारपीट कर एवं दांतों से काट उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-03.03.2017 को रात 00:30 बजे से 00:40 बजे फरियादी बंसती बाई के घर में अभियुक्त राकेश सोनी शराब पीकर आया और फरियादी के लडके पुष्पेंद्र से कहने लगा कि बाहर जाकर सो जो लडके ने बाहर सोने से मना किया सोई इसी बात पर से अभियुक्त द्वारा फरियादिया से गाली गलौच करने लगा । फरियादिया मना किया तो अभियुक्त एक डंडा की मारी जो फरियादिया के पुट्टे में लगी जिससे मूंदी चोट आयी मोकें पर अल्लू था जिसने घटना देखी। फरियादिया बंसती बाई ने घटना दिनांक को ही पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई जो पुलिस थाना चंदेरी के अदम चैक क्रमांक-103/2017 अंतर्गत धारा-323, 504 भा0द0वि0 के तहत लेखबद्ध की गई फरियादिया का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण में फरियादिया बंसती बाई को दांतों से उपहति पाये जाने पर पुलिस थाना चंदेरी के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध असल अपराध की कायमी कर उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 134/17 अंतर्गत भा0द0वि0 धारा-324, 323, 504 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक-10.07.2017 को फरियादी बंसती बाई ने स्वयं व अपने नाबालिग पुत्र पुष्पेंद्र की ओर से अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत

धारा 320 (2) 320 (8) एवं 320 (4) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए उक्त राजीनामों के आधार पर अभियुक्त को भा0द0वि0 की धारा-504, 323 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा0द0वि0 की धारा-324 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।

04— अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निदोष है उसे झूठा फसाया गया है।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक-03.03.2017 को रात 00:30 बजे से 00:40 बजे फरियादी बसन्ती बाई के घर में फरियादी बसन्ती बाई को दांतों से काट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
2.	दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

06— प्रकरण में हुये राजीनामे एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये। अभियोजन की ओर से प्रकरण में फरियादी बसन्ती बाई (अ0सा0 1) सहित घटना के प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी के रूप में पुष्पेंद्र (अ0सा0 2) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं। फरियादी बसन्ती बाई (अ0सा0 1) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है अभियुक्त उसका पति है। फरियादिया के अनुसार इसी वर्ष के तीसरे माह में रात्रि के समय उसके पति की उसके लडके पुष्पेंद्र (अ0सा0 2) से कहा सुनी हो गयी थी जिस पर पुष्पेंद्र (अ0सा0 2) ने पुलिस को फोन कर दिया था। फरियादिया के अनुसार उसके पति ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की और न ही उसने थाने पर पति की कोई रिपोर्ट की थी। फरियादिया का कहना है कि पुलिस घटना वाले दिन घर पर आयी थी और उसके प्र0पी0 1 व 2 पर हस्ताक्षर करा लिये थे।

07— फरियादिया बसन्ती बाई (अ0सा0 1) के अनुसार अभियुक्त से उसका कोई विवाद नहीं हुआ न ही अभियुक्त ने उसके साथ कोई मारपीट की और न ही उसने अभियुक्त की पुलिस में कोई रिपोर्ट की थी, बल्कि बसन्ती बाई (अ0सा0 1) का कहना है कि उसके पुत्र से उसके पति का विवाद हो गया था तथा पुत्र ने ही पुलिस को फोन करके बुलाया था। बसन्ती बाई (अ0सा0 1) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन पूरी तरह से अभियोजन घटना के विपरीत है जिससे इस साक्षी के उपरोक्त कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 से भी नहीं होती है।

08— फरियादिया बसन्ती बाई (अ0सा0 1) के न्यायालय में दिये गये कथनों में के विपरीत स्वयं उसके पुत्र पुष्पेंद्र (अ0सा0 2) का यह कहना है कि दिनांक 03.03.17 को रात्रि के समय उसके पिता व

मां में कहा सुनी हो गयी थी जिसके बाद उसने 100 नंबर पर फोन किया था तो मोके पर दिवानजी आ गये थे और लिखापट्टी की थी। अतः पुष्पेंद्र (अ0सा0 2) अभियोजन घटना के समर्थन में यह कथन अवश्य देता है कि घटना दिनांक रात्रि को उसके पिता और मां में झगडा हुआ था, जिसके बाद उसने पुलिस को फोन करके बुलाया था, परन्तु उस झगडे में अभियुक्त ने उसकी मां के साथ मारपीट की थी, या दांतों से उसे काट लिया था, इस संबंध में इस साक्षी ने अपने मुख्यपरीक्षण में अभियोजन का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है।

- 09— फरियादिया बसन्ती बाई (अ0सा0 1) व पुष्पेंद्र (अ0सा0 2) के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध एवं अभियोजन के समर्थन में कथन न देने के कारण इन दोनों ही साक्षियों को पक्ष विरोधी कर अभियोजन द्वारा उनका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु अभियोजन द्वारा किये गये परीक्षण में भी इन दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन का इस बात पर लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया कि घटना दिनांक की रात्रि को अभियुक्त ने फरियादिया बसन्ती बाई (अ0सा0 1) के साथ मारपीट की थी तथा उसे दांतों से काट कर उपहति कारित की।
- 10— पुष्पेंद्र (अ0सा0 2) जहां अपने परीक्षण में अपने माता पिता का विवाद होना स्वीकार तो करता है परन्तु इस साक्षी का कही भी यह कहना नहीं है कि उसके पिता ने उसके मां के साथ मारपीट की थी या दांतों से काटा था तथा इस संबंध में यह साक्षी पुलिस को भी कोई कथन न देना बताता है। वही दूसरी ओर घटना में मुख्य आहत एवं फरियादिया बसन्ती बाई (अ0सा0 1) अभियुक्त का स्वयं से कोई विवाद ही न होना बताती है तथा विवाद पति और पुत्र में होना बताती है। यह साक्षी दांतों की चोट अपने कथनों में पूर्व की होना बताती है। फरियादिया बसन्ती बाई (अ0सा0 1) इस बात का स्पष्ट खण्डन करती है कि उसके पति ने उसे दांतों से काट कर या उसके साथ मारपीट कर उसे उपहति कारित की थी।
- 11— अतः बसन्ती बाई (अ0सा0 1) व पुष्पेंद्र (अ0सा0 2) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों में इस संबंध में ही विरोधाभास की स्थिति है कि वास्तव में अभियुक्त का विवाद बसन्ती बाई (अ0सा0 1) से हुआ था या पुष्पेंद्र (अ0सा0 2) से हुआ था। दोनों ही साक्षी इस संबंध में अभियोजन का लेशमात्र भी समर्थन नहीं करते हैं कि अभियुक्त ने बसन्ती बाई (अ0सा0 1) के साथ मारपीट की थी या दांतों से काट कर बसन्ती बाई (अ0सा0 1) को उपहति कारित की थी। बसन्ती बाई (अ0सा0 1) स्वयं भी अभियोजन घटना घटित होने से इन्कार करती है तथा प्र0पी0 1 की रिपोर्ट एवं पुलिस को प्र0पी0 3 के कोई भी कथन लेख कराने से भी इन्कार करती है तथा फरियादिया चिकित्सीय परीक्षण में पायी गयी दांतों की चोट पूर्व की होना बताती है, जिससे स्पष्ट है कि फरियादिया के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण में दांतों के काटने की चोट जो उसके शरीर पायी गयी थी वो घटना में न तो कारित हुयी थी और न ही उक्त चोट अभियुक्त के द्वारा कारित की गयी थी।
- 12— फरियादी बसन्ती बाई (अ0सा0 1) व उसके लडके पुष्पेंद्र (अ0सा0 2) के द्वारा अभियोजन के समर्थन में आरोपित अपराध के संबंध में कोई कथन न देने से अभिलेख पर इस आशय की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने फरियादी बसन्ती बाई (अ0सा0 1) के साथ कोई विवाद किया तथा उक्त विवाद में फरियादी को दांतों से काट कर अथवा डंडे से मारपीट कर उपहति कारित की। फलस्वरूप अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के

आधार पर अभियोजन यह साबित करने में सफल नहीं हुआ है कि अभियुक्त ने दिनांक-03.03.2017 को रात 00:30 बजे से 00:40 बजे फरियादी बसन्ती बाई के घर में फरियादी बसन्ती बाई को दांतों से काट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

- 13- फलस्वरूप अभियुक्त राकेश कोली पुत्र तुलसीराम कोली के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-324 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त राकेश कोली पुत्र तुलसीराम कोली को भा0दं0वि0 की धारा-324 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 14- अभियुक्त राकेश कोली पुत्र तुलसीराम कोली के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्त का धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)